रेरा ने दिया दो कंपनियों को बुकिंग रोकने का आदेश

पटना | रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने बुकिंग के तीन साल के बाद भी काम नहीं शुरू करने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी पर रोक लगा दी है। जिन कंपनियों पर रोक लगाई गई है, उसमें एसडी कंस्ट्रक्शन और डेवलपर तथा उसकी अनुषंगी कंपनी अहिल्या होम्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। इन कंपनियों पर आरोप है कि तीन-चार साल पहले बुकिंग के नाम पर लाखों रुपए वसूलने के बावजूद अभी तक काम शुरू नहीं किया है। साथ ही कंपनी पिछले तीन साल का ऑडिट रिपोर्ट देने में विफल रही है। रेरा के सदस्य आरबी सिन्हा और एसके सिन्हा ने इस संबंध में आदेश पारित कर दोनों कंपनियों के विज्ञापन, नया प्रोजेक्ट शुरू करने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। ऐसे करने पर कंपनी के निदेशक और अन्य कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी।

Scanned by CamScanner